बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त

प्रशिक्षण सामग्री

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर,
पटना

क्र0सं0	विषय
1.	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 यथा संशोधित, 2017
2.	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012
3.	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, संशोधन, 2019
4.	बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885
5.	बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950
6.	भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1954 एवं नियमावली, 1955
7.	बिहार भूहदबन्दी हस्तक
8.	चकबंदी अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रमों की जानकारी
9.	खास महाल
10.	बिहार में भूमि संबंधी विवाद और बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की प्रासंगिकता
11.	BPPHT Act 1947
12.	बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014
13.	बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011
14.	बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012
15.	बिहार काश्तकारी (संशोधन), 2017
16.	बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में अंचल अधिकारियों की भूमिका
17.	भू–सर्वेक्षण
18.	Process flow of Survey

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011

[बिहार अधिनियम 24, 2011][1]

प्रस्तावना–

(i) चूँकि अद्यतन अधिकार-अभिलेखों का निर्माण एवं संधारण वह मूलाधार हैं, जिसपर राजस्व एवं भूमि संसाध्न, प्रबंधन तथा प्रशासन आधारित हैं;

(ii) चूँकि, अनुभव बताता है कि राज्य के कुछ भागों में, पारम्परिक पद्धतियों से कराए जा रहे सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन, दीर्घसूत्री, सँश्लिष्ट तथा अत्याधिक खर्चीले हुए हैं;

(iii) चूँकि, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तथा अररिया में 1952 से 1986 तक; मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली में 1959 से 1988 तक; सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल में 1962 से 2002 तक पुनरीक्षण सर्वे प्रचालन संचालित किए गए तथा ये प्रचालन दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में 1965 से; भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर में 1959 से; गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद तथा नवादा में 1965 से, भागलपुर तथा बांका में 1965 से एवं पटना में 1986 से अब तक जारी हैं;

(iv) चूँकि, पुनरीक्षण सर्वे एवं बन्दोबस्त का प्रयोजन ही विफल हो जाता है यदि जिस कालखंड पर इसे पूरा नहीं कर लिया जाता है; यह पूर्व में यथा दर्शित सुदीर्घ हो;

(v) चूंकि, राज्य के 12 जिलों, यथा, मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा,जमुई तथा मुंगेर, सारण प्रमंडल में सारण, सीवान तथा गोपालगंज, तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चम्पारण तथा पश्चिमी चम्पारण एवं पटना प्रमण्डल में नालंदा में कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के बाद से कोई पुनरीक्षण सर्वे एवं बन्दोबस्त नहीं कराया जा सका;

(vi) चूँकि, चालू खतियान (पंजी-I-B), खेसरा पंजी एवं पंजी-II (Tenants' Ledger) जिन्हें अंचल कार्यालयों में अद्यतन रूप से संधारित किया जाना था, तदनुसार संधारित नहीं किए जा सके एवं परिणामस्वरूप, समय-समय पर हो रहे अन्तरण, उत्तराधिकार, दाखिल खारिज आदि उनमें प्रतिबिम्बित नहीं होते;

(vii) चूँकि, भारत सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व यथा प्रायोजित भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में समरूप दृष्टिकोण का अनुपालन नहीं किया गया;

(viii) चूँकि, कम्प्यूटर में प्रविष्ट तथ्यों का सरजमीन की अद्यतन वास्तविकताओं से तालमेल के अभाव में स्वामित्व के अनुवर्ती दावों तथा भू-अभिलेखों में उनके प्रतिबिम्बन के बीच खाई हैं;

1 Published in Bihar Gazette (Ex. Ord.)! No. 800, Dated 22nd December, 2011.

(ix) चूँकि, सर्वेक्षण भाग पर लागत समय को न्यूनतम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जबकि बन्दोबस्ती के पहलू का गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा शिकायत-निवारण का परित्यजन किए बिना, न्यायसंगत संक्षेपीकरण किया जा सकता है।

(x) चूँकि, भूमि विकासात्मक गतिविधियों का मूलाधार है; हाल स्वामित्व, दखल एवं भूमि के वर्गीकरण को अन्तिम रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि भू-अर्जन का प्रचालन निराधार दावों, कपट तथा जालसाजी से दूषित न हो और साथ ही कृषि-ऋण, अनुदान, साहाय्य तथा बीमा से सम्बन्धित गतिविधियाँ सुगमतापूर्वक चलाई जा सकें;

(xi) चूँकि, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किए गए डिजिटल मानचित्रों को पारम्परिक विधियों से तैयार मानचित्रों से सत्यापित एवं तुलित करने की आवश्यकता है, साथ ही उनका सरजमीनी सत्यापन भी आवश्यक है, तकनीकी योग्यता रखने वाले अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर को यह दायित्व दिया जा सकता है;

(xii) चूँकि, मानचित्र निर्माण के बाद के चरण में अद्यतन स्वत्व, स्वामित्व एवं दखल तथा भूमि की अन्य आवश्यक विवरणी को ध्यान में रखते हुए आधारभूत अधिकार-अभिलेख तैयार करना आवश्यक है तथा पूर्वोक्त तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को यह दायित्व एक नियमित आधार पर दिया जा सकता है;

(xiii) चूँकि, मानचित्र सहित, अधिकार अभिलेखों के संधारण की अन्तर्भूत कम्प्यूटरीकृत तथा डिजिटल व्यवस्था समस्त विकास प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है तथा पूर्वोक्त तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को यह दायित्व एक नियमित आधार पर दिया जा सकता है।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–(1) यह अधिनियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय-1
परिभाषाएँ

2. परिभाषाएँ–(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1959 तथा बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम), 1973 में उपबन्धित परिभाषाएं प्रचलित रहेंगी।

(2) **विशेष परिभाषाएँ**–इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011;

(ii) "**समाहर्त्ता**" से अभिप्रेत है जिला का समाहर्त्ता;

(iii) "**प्रारूप प्रकाशन**" से अभिप्रेत है अधिकार-अभिलेख के प्रारूप का प्रकाशन, ताकि सर्वेक्षण प्राधिकारों के द्वारा की गयी प्रविष्टियों के बारे में जानने हेतु जनता को समर्थ किया जा सके। कोई भी व्यक्ति, जिसे प्रविष्टियों के विरूद्ध शिकायत हो, आपत्ति दायर कर सकेगा जिनकी सुनवाई एवं निपटारा किया जायेगा;

(iv) "**सरकार**" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(v) "**अन्तिम प्रकाशन**" से अभिप्रेत है खतियानों की स्वच्छ प्रतियाँ तैयार करना तथा सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यान्वयनों में उनका अन्तिम प्रकाशन;

(vi) "**जाँच**" से अभिप्रेत है आपत्तियों के निपटारे के बाद की गयी अभिलेखों की अन्तिम जाँच;

(vii) "**खानापुरी**" से अभिप्रेत है खतियान के स्तम्भों यथा-रैयत का नाम, खेसरा, दखल इत्यादि का सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यान्वयनों के प्रारम्भिक अभिलेख-लेखन चरण में, भरा जाना।

(viii) "**खेसरा**" से अभिप्रेत है मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्यांकित भूखण्डों की, दखलकारों, रकबा तथा भू-खंडवार वर्गीकरण दर्शानेवाली सूची;

(ix) "**खतियान**" से अभिप्रेत है भूमि की भू-खंड संख्या, रकबा, गुणवत्ता तथा दखल सहित रैयतों के अधिकारों का एक अभिलेख;

(x) "**भूधारी**" से अभिप्रेत है बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 से परिभाषित भूधारी;

(xi) [1]["**अमीन**"] से अभिप्रेत है भूखण्डों की नापी, माप के अनुसार स्केच मैप/मैप बनाने में तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त, सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्ती से सम्बन्धित कार्य तथा समय-समय पर यथा समनुदेशित ऐसे कार्य को क्रियान्वयन, के लिए निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार से अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति;

---

1. बिहार अधिनियम 23, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

(xii) "**विहित**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित;

(xiii) "**विहित फीस**" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर की सेवा लेने के लिए रैयतों के द्वारा भुगतेय राशि;

(xiv) "**पारिश्रमिक**" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर की सेवा लेने के लिए सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय के द्वारा भुगतेय राशि;

(xv) "**किस्तवार**" से अभिप्रेत है कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भूखंडकरण;

(xvi) "**मुकाबला**" से अभिप्रेत है तुलना;

(xvii) "**रदीफ**" से अभिप्रेत है व्यवस्थित करना;

(xviii) "**अधिकार-अभिलेख**" से अभिप्रेत है श्रेणी, स्वामित्व, स्वरूप, रकबा इत्यादि के साथ सर्वेक्षित भूमि की प्रविष्टि 1 अन्तिम प्रकाशन के बाद, इसकी शुद्धता की कानूनी उपधारणा होती है;

(xix) "**विश्रान्ति**" से सामान्यतया अभिप्रेत है वह चरण जिसके दौरान खानापुरी चरण के बाद वाले चरण के लिए अभिलेख तैयार किए जाते हैं;

(xx) "**पुनरीक्षण सर्वेक्षण**" से अभिप्रेत है भू-अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के नील मानचित्र के आधार पर प्रारम्भ किए गए तथा संचालित सर्वेक्षण कार्यान्वयन;

(xxi) "**सफाई**" से अभिप्रेत है स्वच्छ प्रति तैयार करना;

(xxii) "**बन्दोबस्त**" से अभिप्रेत है किसी जिले या किसी क्षेत्र में भू-राजस्व निर्धारण निश्चित करने हेतु प्रचालित सर्वे का कार्यान्वयन;

(xxiii) "**राज्य**" से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

(xxiv) "**तरमीम**" से अभिप्रेत है शुद्धिकरण आदेश का अनुपालन;

(xxv) "**तरतीब**" से अभिप्रेत है अभिलेखों का व्यवस्थापन; रैयतों के नामों के अनुसार खतियान को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना।

[1][(xxvi) "**बन्दोबस्त पदाधिकारी** से अभिप्रेत है जिला का बंदोबस्त पदाधिकारी अथवा जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी।]

1. बिहार अधिनियम 7, 2012 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][(xxvii) "कानूनगो" से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा कानूनगो के रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

(xxviii) "सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

(xxix) "प्रभारी पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

(xxx) "निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप" से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन और राज्य सरकार के भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त पदाधिकारी।]

अध्याय-2

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त

3. राजपत्र में आशय की अधिसूचना:- राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, सरकार सम्पूर्ण राज्य या इसके किसी भाग में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त चलाने का आशय अभिव्यक्त कर सकेगी।

4. चालू सर्वेक्षण कार्यान्वयनों का पुनर्गठन:- सरकार, आदेश के द्वारा, सम्बन्धित जिलों में चालू पुनरीक्षण सर्वे कार्यान्वयनों को, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, जहाँ तक यह आवश्यक समझा जाए, विहित रीति से, लाने के लिए पुनर्गठन कर सकेगी तथा इस परिवर्तन के कारण, पूर्ववर्ती कार्यवाहियों को किसी हद तक अवैध नहीं समझा जाएगा।

[1][**5. पारियों द्वारा स्वघोषणा**–(1) धारा-3 के अधीन अधिसूचना के उपरांत, अमीन और कानूनगो अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में भू-धारियों का वंशावली तथा याददाश्त पंजी तैयार करेंगे।

(2) धारा-3 के अधीन अधिसूचना के उपरांत, भू-धारी, अपने द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में स्वघोषणा बन्दोबस्त कार्यालय में अथवा शिविर कार्यालय में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को विहित रीति से उपलब्ध करा सकेगा। स्वघोषणा का सत्यापन बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा, उपलब्ध अभिलेखों तथा वंशावली से किया जाएगा एवं सत्यापन प्रमाण पत्र उसे निर्गत किया जाएगा।]

1 बिहार अधिनियम 23, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

6. आधुनिक तकनीक द्वारा किस्तवार:- (1) किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का कियान्वयन, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा, धरातल मानचित्रण, सीमांकन तथा जमीनी सत्यापन सहित, इस निमित्त अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) किस्तवार कार्यान्वयन, स्थानीय स्तर पर, पंचायती राज संस्थाओं तथा सम्बन्धित ग्रामों की जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने एवं सुविधा देने के लिए सम्यक् रूप से प्रचारित किया जायेगा।

7. खानापुरी दलों का गठन तथा अधिकार-अभिलेख प्रारूप की तैयारी - (1) किस्तवार कार्यान्वयनों के लिए उत्तरदायी अभिकरण एवं अमीनों के सहयोग से आधारभूत अधिकार-अभिलेख को अद्यतन तथा तैयार करने के लिए सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में खानापुरी दलों का गठन किया जायेगा।

[1][(2) खानापुरी दल निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगी:

(i) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी;

(ii) कानूनगो,

(iii) अमीन।]

(3) सरकार, रैयतों के लिए सूचनाओं की तैयारी एवं सम्बन्धित रैयतों को उनका तामिला करने तथा उनपर आपत्तियाँ आमंत्रित करने सहित, पूर्णत: या अंशत: प्रारम्भिक अधिकार-अभिलेख की तैयारी में किसी निजी एजेन्सी को लगा सकेगी। सूचनाओं पर आपत्तियाँ विहित रीति से संग्रहित एवं संकलित की जाएगी।

(4) आधारभूत अधिकार-अभिलेख तैयार करते समय खानापुरी दल रैयती जोतों के अधिकार, स्वत्व तथा स्वामित्व के निर्धारण के विषय में अद्यतन जमीनी वास्तविकताओं, परिवर्तनों, अन्तरणों, उपविभाजनों, बंटवारों, आनुवांशिक न्यागमन, बदलैन तथा ऐसी अन्य बातों का ध्यान रखेगा।

(5) खानापुरी दल लोक भूमि, सरकारी भूमि, सार्वजनिक परिसम्पति, संसाधन के रूप में ली जानेवाली भूमि तथा अन्य ऐसी भूमि की पहचान तथा सीमांकन करेगा एवं उसे अधिकार-अभिलेख में अभिलिखित करेगा।

[2][**(5क) विश्रांति**—धारा-7 की उपधारा (3), (4) तथा (5) के प्रावधानों के आलोक में तैयार किये जाने वाले मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख की जाँच का कार्य विश्रांति के दौरान पूरा किया जाएगा। विश्रांति के कार्य दो प्रशाखाओं, यथा-(1) आलेख तथा रकबा प्रशाखा और (2) खेसरा प्रशाखा में किया जाएगा।]

---

1 बिहार अधिनियम 23, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 बिहार अधिनियम 23, 2017 द्वारा अन्त:स्थापित।

(6) दावों एवं आपत्तियों, अगर कोई हो, का निपटारा कानूनगो/अंचल निरीक्षक/सहायक चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा विहित रीति से, किया जायेगा;

परन्तु लोक भूमि से सम्बन्धित दावों एवं आपत्तियों का निपटारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारीको पंक्ति से अन्यून पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त रीति से तैयार किए गए अधिकार-अभिलेख को अधिकार-अभिलेख प्रारूप कहा जाएगा।

8. खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन:- किस्तवार एवं खानापुरी के दौरान तैयार किए गए मानचित्रों सहित अधिकार-अभिलेख प्रारुप को, सम्बन्धित राजस्व ग्राम में, इस सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुसार, प्रकाशित किया जाएगा।

9. खानापुरी अधिकार-अभिलेख पर आपत्तियों को आमंत्रित किया जाना:- सम्बन्धित राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्यान्वयन के अन्त में दावों एवं आपत्तियों का आमंत्रण एवं संकलन किया जायेगा तथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी की पंक्ति से अन्यून पदाधिकारी द्वारा, विहित रीति से, निपटारा किया जाएगा।

परन्तु वैसे मामलों की, जिसमें दावों एवं आपत्तियों पर निर्णय इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी के द्वारा किया गया हो, सुनवाई एवं निपटारा उसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

10. विश्रान्ति के दौरान कार्य:- अधिनियम की क्रमश: धारा-7 एवं 9 के अनुसार आपत्तियों तथा अपीलों के निपटारा के बाद, विश्रान्ति में जाँच, सफाई, मुकाबला, रदीफ, तरतीब, तरमीम इत्यादि विहित रीति से किया जाएगा।

11. अधिकार-अभिलेख का अंतिम प्रकाशन:- (1) अधिनियम की धारा-10 के अधीन विश्रान्ति के दौरान कार्य समापन के उपरांत, किसी राजस्व ग्राम के अधिकार-अभिलेख का अंतिम प्रकाशन, विहित रीति से, जिला के [1](बन्दोबस्त पदाधिकारी) के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन किया जाएगा।

(2) अधिकार-अभिलेख के सम्बन्ध में दावे एवं आपत्तियाँ, उसके अंतिम प्रकाशन के 3 माह के भीतर दायर किये जा सकेंगे तथा वैसे दावों एवं आपत्तियों का निपटारा, विहित रीति से, भूमि सुधार उप-समाहर्ता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) अन्तिम रूप से प्रकाशित अधिकार-अभिलेख की एक प्रति सम्बन्धित अंचल कार्यालय को दिन-प्रतिदिन के राजस्व प्रशासन में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी।

---

1. बिहार अधिनियम 7, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

12. अधिकार-अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की उप-धारणा एवं शुद्धता:- (1) इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से तैयार एवं प्रकाशित अधिकार-अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित उपधारित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, किसी क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उस क्षेत्र के भीतर सभी ग्रामों के अधिकार-अभिलेखों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है तथा उक्त अधिसूचना उस प्रकाशन का निर्णायक साक्ष्य मानी जाएगी।

(3) उस प्रकार प्रकाशित अधिकार-अभिलेख की प्रत्येक प्रविष्टि उक्त प्रविष्टि से सम्बन्धित विषय का साक्ष्य होगी, तथा उसे तबतक शुद्ध उपधारित किया जायेगा, जब तक साक्ष्य द्वारा उसे अशुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता।

13. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के बाद चकबन्दी:- (1) इस अधिनियम के अधीन विशेष सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त से आच्छादित राजस्व ग्रामों में बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956 में यथा उपबंधित चकबन्दी का प्रचालन किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त में लगे कार्यबल को, आवश्यकतानुसार चकबंदी प्रचालनों में लगाया जा सकेगा।

(2) स्वैच्छिक चकबन्दी/भूमि के विनिमय को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसके लिए सम्यक् लोक सूचना आधार सृजित किया जाएगा।

14. डिजिटल प्रारूप में अभिलेखों का संधारण- सृजित अभिलेखों की प्रति को, विहित रीति से, डिजिटल प्ररूप में संधारित किया जा सकेगा।

[1][अध्याय-3

(x x x)]

अध्याय-4

विविध

20. अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना:- (1) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि या परम्परा या प्रचलन, जिन्हें किसी विधि या संविदा या न्यायनिर्णय का बल प्राप्त हो, किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार के डिक्री या आदेश में, अंतर्विष्ट इन प्रावधानों से असंगत होने पर भी इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे।

(2) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1959, तकनीकी नियमावलियों तथा बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973, में अधिकथित सर्वे एवं बन्दोबस्त के लिए प्रक्रिया, इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन निर्मित नियमों तथा उसके अधीन बनाये गए हस्तक तथा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, समय-समय पर, निर्गत मार्गदर्शनों द्वारा यथास्थिति, अवक्रमित, संशोधित या अनुपूरित मानी जाएगी।

---

1 बिहार अधिनियम 23, 2017 द्वारा विलोपित।

[1][(3) अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चत दर-तालिका के आधार पर, सम्बन्धित राजस्व-ग्राम के प्रत्येक रैयत के लिए बन्दोबस्ती लगान तालिका तैयार करेगा।

(4) बन्दोबस्ती लगान तालिका का प्रकाशन एवं संशोधन–

(i) सम्बन्धित राजस्व ग्राम की बन्दोबस्ती लगान तालिका जब तैयार हो जाए, तब सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी किसी प्रविष्टि में हुई चूक अथवा गलती से सम्बन्धित आपत्ति प्राप्त करने के निमित्त, विहित रीति से विहित अवधि तक, इसका प्रारूप प्रकाशित कराएगा।

(ii) प्रकाशन की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों का निपटारा, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित पक्षों को उपस्थित होने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद किया जाएगा।

(5) **बन्दोबस्त लगान तालिका की संपुष्टि तथा अधिकार अभिलेख में समावेश**–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी इस प्रकार तैयार किये गये बन्दोबस्त लगान तालिका को प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से, बन्दोबस्त पदाधिकारी की स्वीकृति के लिए सुपुर्द करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्ती-लगान तालिका की जाँच करेंगे एवं उसके अनुसार सही पाये जाने पर वह इसे बन्दोबस्त पदाधिकारी की संपुष्टि एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर देंगे।

(6) बन्दोबस्त पदाधिकारी बन्दोबस्ती लगान तालिका को सुधार के साथ अथवा बिना सुधार के, स्वीकृत कर सकेगा अथवा पुनर्विचार के लिए सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को वापस कर सकेगा।

परंतु किसी भी प्रविष्टि में तब तक सुधार नहीं किया जाएगा जब तक सम्बन्धित पक्षकारों को मामले में उपस्थित होने एवं सुनवाई के लिए सूचना न दी जाए।

(7) बन्दोबस्ती पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी बन्दोबस्ती लगान तालिका को अंतिम रूप से बनायेगा एवं अधिकार अभिलेख में उसे नियमित करेगा और प्रकाशित करेगा।]

स्पष्टीकरण - तत्समय प्रवृत्त उपयुक्त विधि के अधीन की गई पूर्व में सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यवाही इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद किसी भी हद तक अवैध नहीं मानी जायेगी।

[1][**स्पष्टीकरण**–(i) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 106 के अधीन, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के उपरांत, राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रारंभ की गयी कोई भी कार्यवाही की, जो अभी तक विवादों के निपटारे एवं निवारण के लिए लंबित

1. बिहार अधिनियम 23, 2017 द्वारा अन्तःस्थापित।

हो, सुनवाई एवं विनिश्चय इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से 12 (बारह) माह के भीतर, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, मानो उक्त प्रावधान इस अधिनियम के अधीन अधिक्रांत नहीं किये गये हैं।

(ii) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 108 के अनुसार वैसे पुनरीक्षण की जो अभी आदेश/विनिश्चय के लिए लंबित हो, इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से 12 (बारह) माह के भीतर बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जाएगी एवं विनिश्चय की जाएगी, मानो उक्त प्रावधान इस संशोधन अधिनियम के अधीन अधिक्रांत नहीं किया गया हो।

(iii) यदि अधिकार अभिलेख में गलती या तात्विक त्रुटि सुधार के लिए कोई आवेदन बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 108A के अधीन अभी भी लंबित हो तो सम्बन्धित पक्षकारों को मामले में सुनवाई हेतु उपस्थित होने का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत, सुधार किया जा सकेगा। आवेदन का निपटारा इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से 120 कार्य दिवसों के भीतर बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, मानो उक्त प्रावधान इस अधिनियम के अधीन अधिक्रांत नहीं किया गया हो।

(iv) हालाँकि, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-106 के अधीन कोई नयी कार्यवाही अथवा धारा-108 के अधीन नया पुनरीक्षण संस्थित नहीं किया जाएगा और राजस्व अधिकारी द्वारा धारा-108 तथा 108A के अधीन कोई नया आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।]

21. कतिपय मामलों में राज्य का अनिवार्य पक्षकार होना:- (1) तत्समय प्रवृत किसी विधि के किसी प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, ऐसे मामलों में, जो ऐसी भूमि या उसके अंश से सम्बन्धित हो, जो पूर्व में किसी भी नामकरण से लोक भूमि के रूप में, अभिलिखित हो, राज्य एक अनिवार्य पक्षकार होगा।

22. कार्यवाहियों का संक्षिप्त निपटारा:- इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों का, इस अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार, संक्षिप्त निपटारा किया जाएगा।

23. अंतिम प्रकाशन तक अधिकारिता का वर्जन:- इस अधिनियम में उपबंधित स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी प्राधिकार के द्वारा पारित किसी आदेश या लिए गए निर्णय को निरस्त या उपांतरित करने हेतु या उसकी वैधता को प्रश्नगत करने वाले या इस अधिनियम के दायरे में पड़नेवाले किसी मामले के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा जबतक

इस अधिनियम की धारा-12 के अधीन अधिकार-अभिलेख का अन्तिम प्रकाशन नहीं हो जाता है।

24. **निदेश देने की शक्ति:-** राज्य सरकार, इस अधिनियम को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, राज्य के अधीनस्थ किसी अधिकारी, प्राधिकार या व्यक्ति को यथोचित निर्देश निर्गत करने में सक्षम होगी।

25. **तकनीकी मार्गदर्शिका निर्मित करने की शक्ति:-** निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार को, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, तकनीकी मार्गदर्शिका निर्मित करने की शक्ति होगी।

26. **सद्भाव से किए गए कार्यों का संरक्षण:-** इस अधिनियम के अधीन इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन सद्भावना पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएगी।

27. **कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति:-** यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार बिहार राजपत्र में आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों और प्रावधानों से संगत ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो।

28. **नियमावली बनाने की सरकार की शक्ति:-** (1) इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, नियमावली बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए नियम का प्रावधान कर सकेगी:-

(i) कार्यवाही के संक्षिप्त निपटारे की रीति;

(ii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रतिवेदन तथा रिटर्न समर्पित किए जाने की रीति;

(iii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा आवेदनों की सुनवाई करने की रीति;

(iv) किसी धनराशि को सरकारी लेखा में जमा किए जाने की रीति;

(v) स्थानीय जांच-पड़ताल के लिए नियुक्त कमीशन की शक्तियां;

(vi) अभिलेखों एवं पंजियों का संधारण एवं नोटिसों का प्रदर्शन;

(vii) दायर आवेदन या शिकायत दर्ज करने की रीति;

(viii) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विहित किया जाए।

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

---

1. बिहार गजट सं. 37, दिनांक 2 जनवरी, 2014 में प्रकाशित संशोधन अधिनियम द्वारा अन्तःस्थापित।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012[1]

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अधिसूचनाएं सं. 8/नियम संशोधन (सर्वे.)-08-02/2012-590(8), दिनांक, 11 जुलाई, 2012.–बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

अध्याय-I
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–(1) यह नियमावली 'बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगी जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाय।

2. परिभाषाएँ–इस नियमावली में जबतक कुछ भी विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-2 में दिए गए शब्दों की परिभाषाएं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 में लागू होंगी।

अध्याय-II
अधिसूचना एवं उद्घोषणा

3. अधिसूचना :- (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालित करने हेतु अपना आशय अभिव्यक्त करेगी।

(2) पूर्वगामी नियम-3 (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों को भी विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के दौरान प्रविष्टियों से सम्बन्धित अपने दावा/आक्षेप अगर कोई हो, करने हेतु परामर्श करने के लिए अग्रसारित की जाएंगी ताकि उनके द्वारा   धारित/स्वामित्व की भूमि का सही रूप से अधिकार-अभिलेख तैयार किया जा सके।

4. उद्घोषणा :- (1) भू-खण्डों के सीमा-चिह्नों को बताने के प्रयोजनार्थ अपनी भूमि का सीमांकन करने हेतु उन्हें निदेशित करने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के अधीन भूमि के भू-स्वामियों/हित रखने वाले व्यक्तियों को सम्बोधित **प्रपत्र-1** में एक उद्घोषणा प्रकाशित करेगा।

(2) पूर्वगामी नियम 4(1) के अधीन उद्घोषणा के प्रकाशन के उपरान्त बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा बन्दोबस्त पदाधिकारी की अधिकारिता में कार्यरत कोई अन्य

---

1 बिहार गजट (असाधारण) में दिनांक 12.07.2012 को प्रकाशित।

पदाधिकारी/कर्मचारी को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के अधीन भूमि में प्रवेश करने, जांच करने तथा वैसी भूमि का किसी पद्धति जैसा वह उचित समझे, द्वारा मापी करने की शक्ति होगी तथा सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ किसी पेड़, जंगल, खड़ी फसल अथवा अन्य बाधा को काटकर अथवा हटाकर, जैसा आवश्यक हो, भूमि को साफ करने की शक्ति होगी। तथापि उपर्युक्त कार्रवाई के लिए खर्च के सम्बन्ध में कोई दावा या प्रतिकर का दावा नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय-III

चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों का पुनर्गठन

5. **चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों का पुनर्गठन** :- सरकार, कार्यपालक आदेश द्वारा, किसी जिला में चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए पुनर्गठित कर सकेगी।

अध्याय-IV

स्वघोषणा

6. **भू-धारी द्वारा स्वघोषणा एवं इसका सत्यापन:-** (1) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 3(1) के अधीन, अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त भू-स्वामी/भू-धारी अपने स्वामित्व/धारित भूमि से सम्बन्धित स्वघोषणा प्रपत्र-2 में, दो प्रतियों में, समर्पित कर सकेगा। स्वघोषणा की एक प्रति, प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अपना हस्ताक्षर, तिथि एवं क्रम संख्या अंकित कर, उसकी पावती के प्रमाण के रूप में, सम्बन्धित व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) स्वघोषणा, नियम 3(1) के अधीन, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 कार्य-दिवसों के भीतर समर्पित की जाएगी; तथापि, विशेष परिस्थिति में यह अवधि 15 अतिरिक्त कार्य दिवसों के लिए बढ़ायी जा सकती है।

(3) स्वघोषणा, सम्बन्धित अंचल अधिकारी/सम्बन्धित शिविर के प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष समर्पित की जा सकती है।

(4) अगर स्वघोषणा, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारीके समक्ष समर्पित की जाती है तो उसे पूर्वगामी उप-नियम-(1) में प्रावधानित रीति से प्राप्त किया जाएगा तथा उसे सम्बन्धित अंचल के अंचल अधिकारी को, उसके सत्यापन हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा।

(5) अंचल अधिकारी, स्वघोषणा के ब्यौरे को राजस्व अभिलेखों, यथा अंतिम अधिकार-अभिलेख, पंजी-1ख अर्थात चालू खतियान, पंजी-2, अभिभारी खाता पंजी या अपने स्तर पर संधारित किए जाने वाले उपलब्ध उसी प्रकार के किसी राजस्व अभिलेख के आधार पर सत्यापित करेगा।

(6) स्वघोषणा के सत्यापन की अधिकतम अवधि, स्वघोषणा की प्राप्ति की तिथि से, 15 कार्य-दिवस की होगी।

(7) स्वघोषणा के सत्यापन के उपरान्त, अंचल अधिकारी **प्रपत्र-3** में सत्यापन प्रमाण पत्र तैयार करेगा तथा उसे सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

(8) कोई स्वघोषणा, जिसे अंचल अधिकारी द्वारा सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा किसी विवाद के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका हो, उसके सत्यापन नहीं होने का संक्षिप्त कारण देते हुए, **प्रपत्र-4** में एक पृथक पंजी में रखा एवं संधारित किया जाएगा तथा स्वघोषणाओं सहित पंजी सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को भेज दी जायेगी।

अध्याय-V
किस्तवार

7. **आधुनिक तकनीक द्वारा किस्तवार:-** (1) किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का क्रियान्वयन, आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से, भूतल मानचित्रण, भू-खण्डों के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन तथा स्थल सत्यापन द्वारा किया जाएगा।

(2) राजस्व मानचित्र भू-खण्डों की सघनता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न पैमानों पर तकनीकी व्यौरा, शीर्षक, तथा मानचित्र से सम्बन्धित कोई अन्य प्रासंगिक ब्यौरा निर्गमित करते हुए, तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी भू-खण्ड तथा उसकी चौहद्दी स्पष्ट रूप से दर्शायी एवं मापी जा सके।

(3) उस प्रकार तैयार मानचित्र, सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को, उसके सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अमीन, मानचित्र के शत-प्रतिशत भू-खण्डों का सत्यापन करेगा तथा कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी क्रमशः 25%, 10%, 2%, तथा 1% भू-खण्डों की जाँच करेंगे।

(4) मानचित्र का सत्यापन, विगत सर्वेक्षण के मानचित्र से तुलना के साथ-साथ विद्यमान भू-खण्डों के रकबा एवं चौहद्दी के स्थल सत्यापन द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।

(5) राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन, मानचित्र प्राप्ति की तिथि से 30 कार्य दिवसों से अनधिक अवधि के भीतर, पूर्ण कर लिया जायेगा।

(6) उस प्रकार तैयार मानचित्र, आवश्यक संशोधन के उपरान्त सम्बन्धित राजस्व ग्राम के ग्राम पंचायत के कार्यालय के साथ-साथ शिविर कार्यालय के सूचना पटों पर आम जनता हेतु उपदर्शित रहेगा।

अध्याय-VI

खानापुरी

8. खानापुरी दल का गठन :- (1) सम्बन्धित जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी, द्वारा राजस्व ग्राम-वार, खानापुरी दलों का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायेगा:

(i) सम्बन्धित अंचल कार्यालय का एक पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी;

(ii) निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार का प्रतिनिधि;

(iii) कोई अन्य पदाभिहित पदाधिकारी/कर्मी;

(2) खानापुरी दल का गठन सम्बन्धित जिला के राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(3) खानापुरी दल का नेतृत्व कानूनगो अथवा समकक्ष श्रेणी के एक पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त रीति से गठित खानापुरी दल, सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

9. खानापुरी कार्य :- (1) किसी राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य-आरम्भ करने के पूर्व, ग्राम-वार तेरीज अर्थात विगत अधिकार-अभिलेख का संक्षिप्त सार तथा खेसरा पंजी, तीन प्रतियों में, क्रमशः **प्रपत्र-5** एवं **प्रपत्र-6** में तैयार किये जाएंगे।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत तथा सम्बन्धित शिविर के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराए गए रैयतों की स्वघोषणा के सम्बन्ध में सत्यापन प्रमाण-पत्र का, शिविर में तेरीज तथा खेसरा पंजी की सहायता से, पुर्नसत्यापन किया जाएगा।

(3) स्वघोषणा का, जिसे अंचल अधिकारी द्वारा सुसंगत राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा विवाद के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका हो, खानापुरी दल द्वारा उपलब्ध अभिलेखों यथा तेरीज, खेसरा पंजी इत्यादि के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(4) खानापुरी दल, सम्बन्धित राजस्व ग्राम के प्रत्येक खेसरा के किस्तवार के उपरान्त कराए गए मानचित्र के साथ भौतिक सत्यापन करेगा एवं खेसरा की आकृति में सभी प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन भी, यदि कोई हो, दर्ज करेगा। मानचित्र में दर्शाए गए रकबा एवं चौहद्दी से यदि कोई खेसरा अन्तर आता है, तो खानापुरी दल उसे मानचित्र में लाल स्याही से भर देगा। यदि कोई खेसरा दो या अधिक भागों में उप विभक्त पाया जाता है तो प्रत्येक ऐसे खण्ड के लिए एक अलग "बट्टा संख्या (विभक्ति संख्या)" दी जाएगी, तथा ऐसे मामलों में खेसरों के उप-विभाजन को टूटी हुई रेखा में दर्शाया जायेगा। तदनुसार सम्बन्धित राजस्व ग्राम के मानचित्र को परिवर्तित/शुद्ध किया जाएगा। अमीन राजस्व ग्राम के शत-प्रतिशत खेसरों का सत्यापन करेगा तथा कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी बेतरतीब रूप से क्रमशः 25%, 10%, 2%, तथा 1% खेसरों का सत्यापन करेंगे।

(5) क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान, खानापुरी दल लोकभूमि, सरकारी भूमि की पहचान एवं सीमांकन करेगा तथा उसे प्रारम्भिक अधिकार-अभिलेख में अभिलिखित करेगा।

(6) सत्यापन के उपरान्त, उपलब्ध संदर्भ राजस्व अभिलेखों, स्वघोषणा के सत्यापन प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ वास्तविक क्षेत्रीय सत्यापन के आलोक में खानापुरी दल रैयत-वार **प्रपत्र-7** में खानापुरी पर्चा तैयार करेगा।

(7) **प्रपत्र-7** में तैयार किया गया खानापुरी पर्चा, सरकारी भूमि/लोक भूमि से सम्बन्धित पदाधिकारियों सहित भू-धारी/स्वामी को तामील किया जाएगा। भू-धारी/स्वामी को सुविधाजनक स्थान एवं नियत तिथि एवं समय पर खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों से अवगत भी कराया जाएगा।

(8) **प्रपत्र-7** में तैयार पर्चा, सम्बन्धित रैयत अथवा उसके निकट सम्बन्धी को तामील किया जाएगा। तथापि, यदि वह पर्चा प्राप्त करने से इन्कार करता है तो उसे घर के सामने वाले दरवाजा/दीवार पर चिपकाकर उसका तामील किया जाएगा। पर्चा तामील करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जहाँ तक सम्भव हो, पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम चौकीदार तथा अन्य स्थानीय निवासियों का हस्ताक्षर तामील-प्रतिवेदन पर प्राप्त करेगा और खानापुरी पर्चा का उचित तामील माना जाएगा।

(9) भू-धारी/स्वामी अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालयों के प्रतिनिधियों सहित भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों के विरूद्ध **प्रपत्र-8** में दावा/आक्षेप दायर किया जा सकेगा तथा **प्रपत्र-9** में उसके लिए संस्वीकृति के प्रमाण के रूप में एक रसीद सम्बन्धित व्यक्ति को निर्गत की जाएगी।

(10) भू-धारी/स्वामी अथवा भूमि में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित शिविर कार्यालय में प्राप्त किया गया दावा/आक्षेप को **प्रपत्र-10** में एक पृथक पंजी में संधारित किया जाएगा।

(11) खानापुरी पर्चा तैयार करने एवं उसके तामील करने में निजी एजेन्सियाँ लगायी जा सकेंगी। निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा इसके सम्बन्ध में विस्तृत आदेश निर्गत किया जाएगा। निजी एजेन्सियों द्वारा उपर्युक्त कार्य करने के लिए, निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा इसके सम्बन्ध में विस्तृत आदेश निर्गत किया जाएगा। निजी एजेन्सियों द्वारा उपर्युक्त कार्य करने के लिए, निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा, समय-समय पर, पारिश्रमिक/दर नियत की जाएगी।

10. खानापुरी के दौरान दावों/आक्षेपों का निपटारा :- (1) सम्बन्धित कानूनगो/अंचल निरीक्षक/सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, दावों/आक्षेपों के निपटारे के लिए सम्बन्धित पक्षकारों को, **प्रपत्र-11** में दावा/आपत्ति का संक्षिप्त विवरण के अलावे सुनवाई का स्थान, तिथि एवं समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए पृथक सूचनाएँ निर्गत करेगा।

(2) सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा।

(3) काननुगो/अंचल निरीक्षक/सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा दावों/आक्षेपों का निपटारा, संक्षिप्त रीति से दावों/आक्षेपों के दायर होने की तिथि से अधिकतम 30 कार्य-दिवस के भीतर, एक तर्कसंगत आदेश पारित कर के, किया जाएगा।

परन्तु यदि दावे/आक्षेप सरकारी/लोक भूमि के सम्बन्ध में दायर किये गये हों तो उनकी सुनवाई एवं निपटारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4) सूचना के समुचित तामील के बाद भी यदि पक्षकारों में से कोई उपस्थित नहीं होता है, तो दावों/आक्षेपों का, उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं स्थल सत्यापन के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

अध्याय-VII

खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन

11. खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप की तैयारी :- (1) खानापुरी कार्य पूर्ण होने के उपरांत, मानचित्र के साथ-साथ खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों के विरूद्ध खानापुरी प्रचालन के दौरान प्राप्त दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में आदेशों को निगमित करते हुए **प्रपत्र-12** में खानापुरी अधिकार-अभिलेख का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

(2) मानचित्र सहित खानापुरी-अधिकार-अभिलेख शिविर के प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये जाएंगे।

12. खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन :- (1) नियम 11 (1) के अधीन तैयार किया गया तथा नियम 11 (2) के अधीन सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए निम्नलिखित रीति से प्रकाशित किया जाएगा:

(i) उसे सम्बन्धित विशेष सर्वे/बन्दोबस्त शिविर में प्रदर्शित करके;

(ii) उसे सम्बन्धित राजस्व ग्राम में किसी सहजदृश्य सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करके;

(iii) उसे सम्बन्धित राजस्व ग्राम के ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करके;

(iv) उसे सम्बन्धित अंचल कार्यालय के सूचना-पट पर प्रदर्शित करके।

(2) नियम 12(1) के अधीन प्रकाशित मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप आम जनता के परिशीलनार्थ विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शिविर कार्यालय में मुफ्त उपलब्ध रहेगा।